राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांकः– प.6(262)परि/कर/मु./2007/22511 जयपुर, दिनांकः 17/10/16

कार्यालय आदेश 38/2016

राजस्थान मोटर वाहन करारोपण नियम, 1951 के अंतर्गत प्रत्येक वाहन के हस्तानान्तरण के समय कर चुकता प्रमाण पत्र (टी.सी.सी.) प्राप्त करना अनिवार्य है। गैर परिवहन यान जिनमें एकबारीय कर जमा कराया जाता है तथा ऐसे परिवहन यान जिनमें एकमुश्त कर जमा कराया जाता है एवं अन्य परिवहन यानों के भिन्न–भिन्न कार्यों के साथ ही प्रत्येक स्थानान्तरण के समय कर चुकता प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होता है।

वाहन स्वामियों को वाहन हस्तानान्तरण के समय होने वाली गैर जरूरी परेशानी समाप्त करने के उद्देश्य से ऐसे वाहन, जिनका एकबारीय कर/एकमुश्त कर पूर्ण जमा करा दिया गया है, को कर जमा होने के साथ ही वाहन स्वामी को ऐसे वाहन का कर चुकता प्रमाण पत्र जारी किया जाना अनिवार्य किया जाता है। नागरिक अधिकार पत्र में प्रावधानित 7 दिवस की समय सीमा को संशोधित करते हुये कर चुकता प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया में सरलीकरण एवं पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुये निम्न निर्देश प्रदान किये जाते है –

1. नये पंजीकृत होने वाले गैर–परिवहन यानों (सन्निर्माण उपस्कर वाहनों को छोडकर) को पंजीयन प्रमाण पत्र के साथ ही निर्धारित शुल्क वसूल करके कर चुकता प्रमाण पत्र भी जारी किया जावे जो स्थायी प्रकृति का होगा और भविष्यगामी सभी प्रयोजनों के लिये मान्य होगा।
2. नये पंजीकृत होने वाले परिवहन यानों में जिनका पूर्ण एकमुश्त कर जमा वसूल कर लिया गया है उनको भी पंजीयन प्रमाण पत्र के साथ–साथ कर चुकता प्रमाण पत्र (T.C.C.) जारी कर दिया जायेगा जो सभी भविष्य के कार्यों के लिये मान्य होगा।
3. पुराने पंजीकृत गैर परिवहन यानों एवं जिन परिवहन यानों ने एकमुश्त कर जमा करा दिया है के आवेदन प्राप्त होने से अधिकतम एक कार्य दिवस में T.C.C जारी किया जायेगा जो आगामी सभी कार्यों के लिये मान्य होगा।
4. उपरोक्त के अलावा सभी यानों के लिये आवेदन तिथि से अधिकतम 3 कार्य दिवस की समयावधि में कर चुकता प्रमाणपत्र जारी किया जायेगा। इसके लिये किसी एक लिपिक/कनिष्ठ लेखाकार/सूचना सहायक की जिम्मेदारी होगी।
5. कर चुकता प्रमाण पत्र जारी करने में सबसे अधिक जटिलता एवं विलंब राजस्व संग्रहण पंजिका (R.C.R) से जमा राशि के मिलान के कारण होता है, अतः इस पंजिका को पूरी तरह कम्प्यूटरीकृत करवा कर संबंधित प्रभारी लिपिक/कनिष्ठ लेखाकार/सूचना सहायक को डिजिटल फार्म में उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित किया जावे ताकि जमा कर राशि का तत्काल Reconcilation हो सकें।

6. T.C.C के कार्य में तत्परता लाने के लिये अनेक stages को कम कर Single point कर दिया जाये तथा चालान, ऑडिट एवं बकाया की सूचनायें जिम्मेदार कार्मिक के पास उपलब्ध रहें, इस तरह की व्यवस्था कार्यालय अध्यक्ष द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

उपरोक्त निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जाये तथा इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता अथवा लापरवाही को गंभीरता से लिया जायेगा।

(शैलेन्द्र अग्रवाल)
~~प्रमुख शासन सचिव~~
एवं परिवहन आयुक्त

जयपुर, दिनांकः 17/10/16

क्रमांकः– प.6(262)परि / कर / मु. / 2007 /22512-18

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं प्रमुख शासन सचिव।
2. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण।
3. समस्त प्रादेशिक / अति. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी।
4. समस्त जिला परिवहन अधिकारी।
5. श्री संजय सिंघल, एस.ए. को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड़ करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।

अपर परिवहन आयुक्त (कर)